अंक ६७

नई दिल्ली, सितम्बर २०१५

[निजी प्रसार के लिए]

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

श्री विकास नारायण राय

श्री विकास नारायण राय, सेवानिवृत आई.पी.एस. अधिकारी तथा राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सीमा सुरक्षा बल एंव हरियाणा पुलिस अकादमी के पूर्व निदेशक से "पुलिस द्वारा यातना" के केसों और संबंधित पहलुओं पर, ज़ीनत मलिक द्वारा लिये गये व्यक्तिगत साक्षात्कार के मुख्य अंश को पाठकों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

टॉर्चर के बारे में हम जानते और देखते हैं कि यह लगातार होता आ रहा है और सर्वव्यापी है। आपके विचार में क्या कारण है कि कानूनों में प्रतिबंधित होने, उच्चतम न्यायालय और मानव अधिकार आयोगों के निर्देशों तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण के बावजूद, यह रुक नहीं पा रहा है? क्या दोषियों को यह विश्वास है कि कानूनों के बावजूद वह बच निकलेंगे?

यह तो सही है कि कहने की दुनिया अलग है और करने की दुनिया अलग है। जो पुलिस की व्यावहारिक दुनिया है उसमें यह शामिल नहीं हो पा रहा है कि बगैर शारीरिक–मानसिक प्रताड़ना या थर्ड डिग्री के परिणाम निकाले जा सकते हैं। जैसे, हम एक आम पुलिसवाले से बात करते हैं तो वो कहता है कि नहीं साब बगैर इसके काम नहीं होगा। इसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक उनके प्रशिक्षण–अनुकूलन की कमी है और फिर संगठनात्मक कार्य–संस्कृति का दोष है। यह केवल पुलिस में ही नहीं है बल्कि हर विभाग में है कि सारा ज़ोर कार्यक्षमता पर है जिसे आँकड़ों से मापा जाता है। और, ऐसा हम क्यों करते हैं क्योंकि हमारी जवाबदेही हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति है न कि नागरिकों के प्रति। कानून के प्रति हमारी जवाबदेही कैसी है यह हमारे वरिष्ठ अधिकारी और राजनीतिक आक़ा देखते हैं।

प्रकाश सिंह केस में 'पुलिस सुधार' की बात कही गई थी जिसमें एक स्वतंत्र जवाबदेही तंत्र की बात की गई थी। लेकिन, वास्तव में वर्तमान प्रशासनिक ढ़ांचे में ऐसी कोई संस्था बनायी ही नहीं जा सकती जो इन राजनीतिक आक़ाओं से स्वतंत्र होकर, नागरिकों के नज़रिये से पुलिस के काम की समीक्षा करे।

मेरा यह कहना है कि ये जो क्षमता प्रदर्शन या फिर अपने वरिष्ठों को संतुष्ट करने की होड़ है इसमें आप अपराध कम हो रहा है यह दिखाते हैं और इसके लिए आप अपराधों को दर्ज करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। इसका कुप्रभाव जनता को भुगतना पड़ता है। इन सबमें जनता को संतुष्ट करने की बात पीछे रह जाती है।

जब तक आँकड़ों पर आधारित क्षमता प्रदर्शन से आगे बढ़कर पुलिस की नीति में आप नये पहलू नहीं लाएंगे, नागरिक समुदाय को पुलिस व्यवस्था का एक अनिवार्य पहलू नहीं मानेंगे तो पुलिस व्यवहार में कैसे बदलाव आएगा। मान लीजिये शहर में १० डकैतियां हुई हों तो उनके पीड़ितों के अलावा शायद अन्य २ लाख निवासियों को इससे अधिक सरोकार नहीं होगा। लेकिन, उन्हें इस बात की चिंता अवश्य होगी कि पुलिस ने समय पर केस दर्ज किया कि नहीं, वह केस की जांच ठीक से कर रही है कि नहीं, कहीं जांच अधिकारी पक्षपात तो नहीं कर रहा है, संबंधित पुलिस जेंडर संवेदी है कि नहीं, कहीं कोई जातिगत या धर्मगत दुर्भावना तो नहीं है, आदि। नागरिकों को ऐसी पुलिस की ज़रूरत है जो संविधान अनुकूलित हो लेकिन, उनको एक क्षमता अनुकूलित पुलिस मिलती है और वह भी ऐसी जो केवल आँकड़े प्रदर्शन में भरोसा रखती है।

आपके अनुसार पुलिस द्वारा हिंसा के केसों को कम करने/समाप्त करने के लिए अवसंरचना स्तर पर तथा प्रशिक्षण स्तर पर किन चीज़ों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए?

अवसंरचना स्तर पर – अनिवार्य मानसिक और शारीरिक विश्राम और प्रशिक्षण स्तर पर – समुदाय को संतुष्ट करने का लक्ष्य, जिसमें समुदाय नजरिये से निर्णय लेने का प्रशिक्षण तथा समुदाय के साथ मिलकर काम करने का प्रशिक्षण तथा जेंडर समेत लोकतान्त्रिक संवेदीकरण सम्मिलित हो। हम समुदाय की ओर से सोचते ही नहीं हैं कि उन्हें क्या चाहिए क्योंकि आपने स्वयं को उनके साथ जोड़ा ही नहीं है। अब आप एक उदाहरण लीजिए, दिल्ली पुलिस ने कोई 'ऑपरेशन सदाचार' शुरू किया था जिसमें महिलाओं से बसों में छेड़खानी को रोकने का प्रयत्न किया गया था। इसमें शामिल महिलाकर्मी आरोपियों को मारती भी थीं लेकिन, इस एकतरफ़ा कवायद का कोई खास परिणाम नहीं निकला क्योंकि उन्होंने समुदाय को शामिल नहीं किया था।

इस बात को समझें कि जिस परिस्थिति में पुलिसवाले काम कर रहे हैं उसमें उन पर अत्यधिक दबाव है। हमारे जो कानून हैं वह स्टेट को मज़बूत कर रहे हैं न कि पीड़ित को, इसलिए पीड़ित का सारा दबाव पुलिस पर आ जाता है। उसे कुछ चाहिए तो उसे सामने पुलिस ही नज़र आती है। अगर कानून ऐसे बनें जो पीड़ित को मज़बूत करने लगे तो पुलिस पर पीड़ितों का दबाव कम हो जाएगा, उनसे अपेक्षाएं सीमित हो जाएंगी और इससे पुलिस का तनाव कम होगा और स्वभाविक रूप से व्यवहार में सुधार आएगा।

इसके लिए सम्बंधित प्रोटोकॉल उपयोगकर्ता के लिए मैत्रीपूर्ण होना चाहिए जो कि नहीं होता है। मान लीजिए, आपने महिलाओं की सहायता करने के लिए महिला थाने बनवा दिये लेकिन ऐसा करते समय भौगोलिक परेशानी का ध्यान नहीं रखा गया। इसमें पहली समस्या, पहले एक ज़िले में महिलाएं जो १६ थानों में से अपने निकटतम थाने में जा सकती थीं उन्हें अब ५० कि.मी. चलकर महिला थाने जाना पड़ेगा। दूसरी समस्या, जब आपने महिला थाने पर ही महिलाओं से संबंधित सभी केसों का दायित्व डाल दिया तो उनका कार्यभार बढ़ जाएगा। तीसरी समस्या, महिलाएं आज केवल पीड़ित ही नहीं हैं– वह गवाह भी है और आरोपी भी, तो उन्हें भी बार–बार इतनी दूर जाना पड़ेगा। अभी मैं आज़मगढ़ गया था वहां महिला थाने के एस.एच.ओ. ने बताया कि पीड़ित का मेडिकल कराना है तो सम्बंधित अस्पताल चाहे कितना भी दूर हो, उस अस्पताल में ही कराना पड़ेगा।

आप बताइये इसका परिणाम क्या होगा? जबकि आवश्यकता यह थी कि जब महिला मदद के लिए किसी भी थाने में जाये तो हर थाने में महिला थाने जैसा रिस्पॉन्स मिले। इसके लिए आवश्यक है कि हर पुलिस वाला जेंडर संवेदी हो। इसके लिए आपको उसे उसी प्रकार प्रशिक्षण देना होगा जैसे आप उसे हथियार चलाने का प्रशिक्षण देते हैं। वह जेंडर संवेदी है या नहीं इसकी मानकता के लिए हर ३ साल में पुनःप्रशिक्षण होना चाहिए और उसे प्रमाणित किया जाना चाहिए।

उदाहरण स्वरूप, वर्मा कमिटि ने क्या किया – कानून को और कठोर बना दिया। इससे स्टेट मज़बूत हुआ पीड़ित नहीं – उसे गवाही के लिए, मेडिकल के लिए, मुआवज़े के लिए वैसे ही धक्के खाने पड़ेंगे। होना यह चाहिए था कि एफ.आई.आर. के बाद पीड़ित को कुछ नहीं करना है, मेडिकल होने के बाद उसके खाते में ३-७ दिनों में मुआवज़े के पैसे आ जाने चाहिए। वो, बाद में देखिए कि केस ग़लत है या सही – आप वापस पैसों की कैसे उगाही करेंगे। ऐसा प्रोटोकॉल हो तो पुलिस पर दबाव थोड़ा कम होगा।

क्या आपके विचार में कोई अन्य उपाय भी हो सकते हैं पुलिस के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए?

पुलिस अत्यधिक काम के दबाव तले दबी हुई है। इसलिए पुलिस की संख्या बढ़ाकर उन्हें चार शिफ्ट दीजिये और पूरा मानसिक – शारीरिक विश्राम देना चाहिए। पुलिस का काम बहुत अधिक तनावपुर्ण है इसलिए इसके लिए चार शिफ्ट सिस्टम को लागू करना चाहिए जैसे हम एस.पी.जी. में करते हैं। इसमें विश्राम के साथ नियमित प्रशिक्षण भी सुनिश्चित होगा। यदि किसी व्यक्ति ने ६ बजे सुबह को काम समाप्त किया तो वह अगले दिन ६ बजे सुबह ही काम पर आएगा। इसे उसे २४ घण्टे का विश्राम मिल जाता है।

ऐसा करने से सुपरवाईज़रों को अपने पुलिसकर्मियों को समझाने का, जो काम किया गया उसका विवरण लेने का और लगातार संवेदीकरण करने का समय मिलेगा। पुलिस का काम ऐसा नहीं है कि आपने कोई बात एक बार बता दी और वह उसी के अनुसार काम करेंगे। उनसे लगातार पूछने और बताने की आवश्यकता है। जब

शेष पृष्ठ २ पर....

बूझो और जीतो–४५

प्रिय पाठकों,

इस खण्ड में, पिछले कुछ महीनों से किसी ख़ास विषय पर केन्द्रित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, इस बार हम 'हिरासत में पुलिस के दायित्वों' से संबंधित प्रावधानों में से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। आशा है, आपको प्रश्न पसंद आएंगे और आप अधिक से अधिक संख्या में इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगी/लेंगे।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं और २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रुपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है।

इस अंक के प्रश्न निम्नलिखित हैं :–

१. पुलिस के समक्ष गवाहों का बयान किस प्रावधान के अंतर्गत दर्ज कराया जा सकता है?

२. क्या पुलिस किसी को भी गवाह के रूप में बयान दर्ज कराने के लिए थाने बुला सकती है?

३. क्या पुलिस के समक्ष दोष स्वीकार करने पर व्यक्ति दण्ड का पात्र बन जाता है?

४. कोई व्यक्ति बाज़ार जाता है, वहां उसे पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है। घरवालों को उसकी गिरफ़्तारी के बारे में कैसे मालूम होगा?

५. क्या पुलिस किसी व्यक्ति को बगैर किसी कारण गिरफ़्तार कर सकती है?

बूझो और जीतो – ४२ का परिणाम

जून २०१५ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं :–

१. हाँ, *आर्म्स ऐक्ट* की धारा ४ के अंतर्गत लोक हित में अधिसूचना जारी करके साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति में आत्मरक्षा के लिए रखे गये लाईसेंसधारी बन्दूक को भी प्रशासन ज़ब्त कर सकता है।

२. हाँ, *दण्ड प्रक्रिया संहिता* की धारा १०६ के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को जो नाम बदलकर किरायेदार के रूप में रह रहा हो, पुलिस संदेह के आधार पर एन.सी.आर. दर्ज करके १ वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित कर सकती है।

३. हाँ, *भारतीय दण्ड संहिता* की धारा १५३ क (१) एंव (२) के अनुसार पुलिस एक समूह के केवल दो लोग यदि हथियारबंद होकर किसी मस्जिद पर हमला करने गये लोगों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर सकती है और उन्हें गिरफ़्तार भी कर सकती है। इसके लिए आरोपी को ३ - ५ वर्षों तक का कारावास और जुर्माना चुकाने का दण्ड हो सकता है।

४. *भारतीय दण्ड संहिता* की धारा १४८ के अंतर्गत तलवार लेकर दंगा करने के लिए आए दंगाईयों के विरुद्ध आपराधिक केस दर्ज किया जा सकता है तथा इसके लिए ३ वर्षों तक के कारावास या जुर्माना चुकाने या दोनों के दण्ड का प्रावधान है।

५. हाँ, धार्मिक स्थल पर एकत्रित लोगों के समक्ष दूसरे धर्म के लोगों को बुरा बतलाकर दोनों समुदाय के लोगों के बीच दुश्मनी और नफ़रत भड़काने की कोशिश करने वाले धर्म गुरू के विरुद्ध पुलिस *भारतीय दण्ड संहिता* की धारा १५३ क (२) के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कर सकती है। इस अपराध के लिए ५ वर्षों तक का कारावास तथा जुर्माना चुकाने का दण्ड दिया जा सकता है।

विजेता :

इस बार बूझो और जीतो–४२ के लिए प्राप्त प्रविष्टियों में हमें किसी के भी सभी उत्तर सही नहीं प्राप्त हुए। इसलिए, इस अंक में किसी को भी विजेता घोषित नहीं किया जा सका है।

ज़ीनत मलिक
प्रधान संपादक, *लोक पुलिस*
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव
(सी.एच.आर.आई.)
तीसरी मंज़िल, ५५ ए, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली-१६
फोन: ९१ ११ ४३१८०००, ४३१८०२२५
फैक्स: ९१ ११ २६८९४६८८
ई-मेल: zeenatmalick@gmail.com
वेबसाईट: http://www.humanrightsinitiative.org

क्या यातना ही एकमात्र उचित विकल्प है?

यातना मानव हिंसा का अत्यंत कठोर रूप है, जिसके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम होते हैं। शोध से यह पता चला है कि इसके सर्वाइवर और अपराधी दोनों पर लंबे समय तक के लिए नकारात्मक प्रभाव डालता है, और यह पूछताछ में विश्वसनीय जानकारी निकालने में भी प्रभावहीन है।

पुलिस विभाग प्रायः यातना को पूछ–ताछ के दौरान नीतिगत गुप्त सूचनाओं को निकालने के लिए एक विशेष साधन के रूप में देखता है। यातना और हिरासत में हिंसा नियमित रूप से और हर जगह होती है। पुलिस अब इसे अधिक नकारती भी नहीं है बल्कि खुलेआम यह भी कहती है कि अपराधों को हल करने का उनके पास केवल यही तरीक़ा है। यातना की उपस्थिति को अकसर जानबूझकर नज़रअन्दाज़ किया जाता है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इसे माफ़ कर देते हैं जबकि न्यायाधीश भी इस पर आँखें मूंदे रखते हैं और इससे पुलिस को एक बड़ा संदेश जाता है कि वे यातना के बाद इसके परिणाम के भय से बच कर निकल सकते हैं।

जबकि, यातना के विरुद्ध प्रतिबंध और हिरासत में हिंसा परम सिद्धान्त है। अंतर्राष्ट्रीय और देशीय दोनों ही कानूनों के अंतर्गत इसकी पूर्ण रूप से मनाही है। अक्टूबर १९९७ में, भारत ने एक दशक से अधिक समय तक इससे बचते रहने के बाद अंततः इस पर हस्ताक्षर कर दिया लेकिन इसकी अभिपुष्टि फिर भी नहीं की। कन्वेन्शन पर हस्ताक्षर करना इसे इस बात के लिए बाधित करता है कि वह यातना को समाप्त करने के लिए व्यवहारिक उपायों से उचित क़दम उठाये। तब से भी यदि इसने यातना के आरोपी पुलिसकर्मियों को बचाने के बजाय सच्चाई से उनके विरुद्ध अभियोग चलाया होता तो हिरासत में यातना की घटनाओं में निश्चित ही कमी आई होती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

भारत का संविधान यातना को रोकता है और इससे स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है (*भारत का संविधान, अनुच्छेद २१*)। हमारे कानून के अंतर्गत, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हैं जहां 'थोड़ी भी हिंसा' या 'थोड़ी यातना' को वैधानिक माना जा सके। उच्चतम न्यायालय ने एक के बाद एक कई केसों में यह स्पष्ट कर दिया है कि यातना की न्यूनतम डिग्री के लिए भी कोई स्थान नहीं है। "कोई भी यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार संविधान के अनुच्छेद २१ के निरोध के दायरे में आएगा चाहे वह जांच के दौरान हो, पूछ–ताछ या अन्य किसी चीज़ के दौरान हो" *डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार। दण्ड प्रक्रिया संहिता* के अध्याय ५ को ऐसी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो हिरासत में यातना या हिंसा के केसों के अवसर को कम करे। ऐसी प्रक्रिया जो गिरफ़्तारी की शक्तियों और व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित है और पुलिस द्वारा जिसका पालन करना अनिवार्य है और जिसे स्पष्ट रूप से गिरफ़्तार व्यक्ति के हित के संरक्षण के उद्देश्य से डाला गया है।

यातना के उपयोग के विरुद्ध सबसे बड़ा तर्क शायद नैतिक तिरस्कार में निहित है लेकिन यह भी सच है कि व्यावहारिक स्तर पर यातना से न्याय का लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है बल्कि यह पूरे संस्थान को अपमानित और कलंकित करता है। नियमित और दूर–दूर तक फैले हुए यातना की घटनाओं और अदालतों द्वारा इसे सहन करने से अपराध में कमी नहीं आई है, न ही इससे केसों को हल करने में सहायता मिली है और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे अपराधसिद्धि दर में भी वृद्धि नहीं हुई है।

सामान्य रूप से वर्दीधारी पुलिस अधिकारियों द्वारा इस आपराधिक व्यवहार को न्यायसंगत बतलाने के लिए यह झूठा तर्क होता है कि जिस व्यक्ति को यातना दी जाएगी वह स्वतः ही सच बोल देगा। शायद यह सच हो। लकिन, दूसरी ओर यह भी सच है कि एक मामूली चोर और कोई निर्दोष व्यक्ति भी यातनायस्त होने पर हर अपराध के दोष को स्वीकार कर लेगा।

यातना एक आम प्रचलन के रूप में लगातार क़ायम है, क्योंकि अदालतें कठोरता से कानून के पालन पर ज़ोर नहीं देती हैं बल्कि जो चल रहा है उसे सहन करती हैं। यातना के उपयोग को रोकने के लिए अग्रसक्रिय होकर दण्ड न देने से और उसे सहन करने के कारण अदालतें भी इस अवैधानिकता में साझीदार बन जाती हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता और उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देश, अदालतों को यह सुनिश्चित करने के लिए अग्रसक्रिय होने को कहते हैं कि किसी भी प्रकार की यातना की घटना न हो और किसी भी प्रकार के सही परिणाम की प्राप्ति के लिए यातना पर निर्भर न हुआ जाए।

कानून को यातना का कोई भी स्वरूप अस्वीकार्य है।

कानून के अधीन, पुलिस के समक्ष अपराध स्वीकृति को अदालत में प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं है। अगर मुकदमे के दौरान इसे प्रभावपूर्ण होना है तो यह दोषस्वीकृति मजिस्ट्रेट के समक्ष होनी चाहिए। पुलिस के समक्ष की गई गुनाह कबूली को कभी भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार न करने का कारण यह नहीं है कि हम अपनी पुलिस पर विश्वास नहीं करते बल्कि ऐसा इसलिए है कि यह पूरी प्रक्रिया अपने विशेष स्वरूप के कारण, आपराधिक न्याय प्रणाली के उस सिद्धांत के विरुद्ध हो जाती है जिसमें इसके अंतर्गत सभी पक्षों के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता को आवश्यक माना गया है। भारत की पुलिस को लगातार यातना के लिए याद किया जाता है। पुलिस अधिकारी खुलेआम इस बात को स्वीकार करते पाये जाते हैं कि उन्हें इतना निम्न स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाता है, अवसंरचनाओं की इतनी कमी है और उन पर बाहरी दबाव इतना अधिक है कि जांच के लिए यातना और कड़ी पिटाई के अलावा उन्हें और कोई साधन नहीं सूझता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इसकी शिकायत से भरा पड़ा है, और इसका ढेर वहां सालों साल बढ़ता जा रहा है क्योंकि वह इन सबका निपटारा नहीं कर सकता है।

पुलिस यह तर्क देती है कि पुलिस के समक्ष गुनाह कबूली दूसरे अधिकरक्षेत्र में स्वीकृत है। लेकिन, जहां हिरासती मानक बहुत अधिक ऊँचे हैं वहां भी अदालत की सतर्क कार्यवाही में सवालों की सत्यता को कड़ाई से जांचने की ज़रूरत होती है। गुनाह कबूली किसी भी तरह से एक ऐसा मुख्य तरीका नहीं है जिससे कि एक पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा या संरक्षण प्रदान किया जाए। अपराधों से निपटने की मुख्य क्षमता उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कौशल और पुलिस के उत्कृष्ट प्रबंधन और संगठनात्मक स्तर और आम जनता का जो गहरा विश्वास उन्हें प्राप्त होता है, उसमें निहित है। अधिकतर, महत्वपूर्ण रूप से अपराधों को रोकने की क्षमता सर्वोत्तम स्तर की सूचना प्राप्ति में निहित है। यह पुलिस को खुले हाथों से, राजनैतिक दबाव के बगैर जांच करने का अवसर प्रदान करता है।

– नवाज़ कोतवाल

पृष्ठ २ का शेष....

ब्रीफिंग–डीब्रीफिंग का समय नहीं मिलता तभी वे ग़लतियां करते हैं। अभी क्या होता है कि किसी ड्यूटी के पहले क्या और कैसे करना है यह समझाने और बताने का समय ही नहीं है सुपरवाईज़री अफ़सर के पास। अभी तो ऐसा है कि कहीं से सूचना आ गई कि कानून–व्यवस्था कि स्थिति उत्पन्न हो गई है तो जो हैं जितने हैं उन्हें गाड़ी में भरकर भेज दो। और वहां यह अपेक्षा होती है कि वह भीड़ को संभाले जोकि हो सकता है १६ घण्टों से सोया ही न हो।

यदि आप ४ शिफ़्ट सिस्टम को लागू करेंगे तो एक दो घण्टे हर व्यक्ति के पास कुछ पढ़ने, दुनिया को समझने के लिए होगा। उसकी मानसिक दशा ऐसी होगी कि वह उचित निर्णय ले पाएं क्योंकि परिस्थिति अनुसार सटीक और सर्वश्रेष्ठ निर्णय की अपेक्षा केवल एक आई.पी.एस. अधिकारी से ही नहीं की जाती बल्कि वह एक कांस्टेबल से भी की जाती है।

कई बार हम देखते हैं कि यदि निचले स्तर पर भी किसी पुलिसकर्मी द्वारा जनता के साथ दुर्व्यवहार या यातना होती है तो बजाय इसके कि वरिष्ठ अधिकारी इसका संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही करें, उसका बचाव करने लगते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पर्यवेक्षी अधिकारियों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?

वरिष्ठ अधिकारी भी उसी तरह आंकड़ों के खेल में उलझे हुए हैं जैसे अन्य रैंक। कानून के प्रति उनकी जवाबदेही भी बस राजनीतिक आकाओं को संतुष्ट रखने तक सीमित है न कि नागरिकों के हितों को समर्पित। वे भी रोजमर्रा की भागदौड़ में एक थकी और मशीनी अमले को नेतृत्व देने को बाध्य हैं। प्रायः वे व्यवहारिकता की दुहाई देते हुए आरोपी पुलिसकमियों के व्यवहार को नजरअंदाज़ करते पाये जाते हैं।

अंततः थाना स्तर पर पुलिसकर्मियों को 'यातना के बगैर काम करना सम्भव है' इस कथन का समर्थन करते हुए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?

उन्हें आधुनिक तकनीक की भरपूर सुविधा तो चाहिए ही, साथ में नागरिक रुझान और लोकतान्त्रिक संवेदीकरण जैसे आयाम उनके पेशेवर मिज़ाज का स्वभाविक हिस्सा होना चाहिए। ड्यूटी के बीच में पर्याप्त आराम और नियमित प्रशिक्षण भी उतने ही जरूरी हैं। उनमें यह विश्वास आना जरूरी है कि बिना यातना का सहारा लिए या कानून की सीमा लांघे भी संतोषप्रद परिणाम दिए जा सकते हैं।

सर, हाल ही में पुलिस बर्बता के कई केस हुए हैं– एक केस में एक व्यक्ति को कई पुलिसकर्मियों ने बड़ी बर्बता से पीटा और उस पर चढ़कर उसका दम निकाल दिया। इस प्रकार बर्बता के कठोर केसों में, पुलिसकर्मियों की क्या सोच होती होगी जो वे ऐसी अमानवीय बर्ताव करते हैं?

उनका अनुकूलन ग़लत है। उनका दृष्टिकोण लोकतान्त्रिक पुलिस का नहीं है इसलिए वे ऐसा करते हैं। कई वरिष्ठ अधिकारियों से यदि आप पूछेंगे कि 'लोकतान्त्रिक पुलिसिंग' क्या है तो उन्हें मालूम नहीं होगा। वे अंग्रेजों के ज़माने के कानून और उस कानून के अंतर्गत पुलिसिंग का जो उद्देश्य था आज भी उसी के अनुसार जनता से व्यवहार करते मिलेंगे। जबकि यह समझने की आवश्यकता है कि उस समय के शासकों का मकसद पुलिस द्वारा जनता को रोकना उनमें अपना भय दर्शाना था ताकि कोई उनके विरुद्ध न जा सके।

आज समाज तो लोकतान्त्रिक होता जा रहा है लेकिन पुलिस की कार्यशैली वहीं की वहीं है जिसके कारण पुलिस स्वंय को जनता से ऊपर समझती है और ऐसा व्यवहार करती है।' लोकतान्त्रिक पुलिसिंग' की अवधारणा को अक्षरतः लागू करना ही इसका एकमात्र उपाय हो सकता है।

- हमारा मकसद लोकतान्त्रिक पुलिसिंग होना चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षण देना होगा जिसका पैमाना संविधान अनुकूलन होगा।
- कार्यक्षमता, हम अपनी पुलिस को जरूर सिखाएंगे लेकिन वह आंकड़ों पर आधारित नहीं होगी – बल्कि जनता की संतुष्टि पर आधारित होगी। पुलिस की कार्य पद्धति में पारदर्शिता होगी और वह समुदाय संवेदी होगी। समुदाय और जेंडर संवेदीकरण किसी भी पुलिसवाले का दूसरा स्वभाव बनाना होगा।
- कानूनों को ऐसा बनाना होगा कि वह पीड़ितों को सशक्त करे न कि राज्य को।
- कानून, न्याय–व्यवस्था की एजेंसियों की मनमानी नहीं नागरिक के अधिकार सर्वोपरि हों।

ऐ दोस्त

तुम मेरे जैसा ही अंश हो, इस जीवन में, फर्क सिर्फ़ इतना ही है
"ऐ दोस्त"
कि तुम wrong side में हो और हम safe side।
मैं गिरफ़्तार तो करूँगा तुझे गर तूने किया है संज्ञय अपराध
क्योंकि मुझे नियुक्त किया गया है, कानून का प्रवर्तन करने के लिए।
पर ऐ दोस्त,
देख तेरे साथ तो सब खड़े हैं, मानवाधिकार से लेकर NGO तक
मीडिया से लेकर पुलिस तक पर मेरे लिए कोई नहीं है,
न ही मेरा मानवाधिकार है न मेरा कोई संगठन है
न मेरे साथ है पुलिस न ही है कोई पत्रकार।
मेरे मानवाधिकार का तो मैं सोच भी नहीं सकता
वो तो बंधा है अनुशासन की डोरी में
पर फिर भी ऐ दोस्त,
मैं विश्वास दिलाता हूँ तुझे एक पुलिस अधिकारी होने के नाते,
तेरे मानवाधिकारों का मैं पालन करूँगा।

– कमला पुनिया
पुलिस ड्राईविंग स्कूल, बीकानेर
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

तथ्य एवं आंकड़े

पुलिसकर्मियों के विरुद्ध दर्ज शिकायतों से संबंधित आँकड़े (वर्ष २०१४ के दौरान)

१.	पुलिसकर्मियों के विरूद्ध प्राप्त/दर्ज केसों की संख्या	४७७७४
२.	गिरफ़्तार किये गये पुलिसकर्मियों की संख्या	१४८२
३.	आरोपपत्रित पुलिसकर्मियों की संख्या	११६६
४.	पुलिसकर्मियों के विरूद्ध वापस लिये गये/निपटाये गये केस	५९९०
५.	पुलिसकर्मियों के विरूद्ध मुकदमें पूर्ण होने की संख्या	१२६
६.	पुलिसकर्मियों के विरूद्ध दोषसिद्धि की संख्या	४४
७.	विमुक्त पुलिसकर्मियों की संख्या	८२
८.	छोटे दण्ड दिये जाने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या	१२५४६
९.	बड़ा दण्ड दिये जाने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या	४६३७
१०.	जिन पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर/हटा दिया गया	४१६
११.	वर्ष के अंत में पुसिकर्मियों के विरूद्ध विचाराधीन विभागीय इंक्वायरी की संख्या	९८५३

सौजन्य: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट 'भारत में अपराध २०१४' के अंतर्गत।
नोटः इसमें पुलिसकर्मियों द्वारा मानव अधिकार उल्लंघन के विरूद्ध दर्ज केसों का आँकड़ा सम्मिलित नहीं है।

क्या आप जानते हैं?

इस अंक में हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा अत्याचार को समाप्त करने के लिए तैयार किये गये दस्तावेज़ *"यातना एंव अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दण्ड के विरूद्ध कन्वेन्शन (कन्वेन्शन अगेंस्ट टॉर्चर या कैट)"* के मुख्य प्रावधानों को आपकी सूचना के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।

परिचय

यातना एंव अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दण्ड के विरूद्ध कन्वेन्शन (कन्वेन्शन अगेंस्ट टॉर्चर या कैट) को १० दिसंबर १९८४ को साधारण सभा में प्रस्तुत करने के बाद इसे देशों द्वारा हस्ताक्षर करने, अभिपुष्टि तथा अभिवृद्धि के लिए खोल दिया गया।

यह दस्तावेज़, अत्याचार और अमानवीय व्यवहार को रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न करने का अंतर्राष्ट्रीय इक़रारनामा है। इस पर हस्ताक्षर करने के बाद, यह सदस्य देशों को इस बात के लिए बाधित करता है कि वह उनके देश में हर प्रकार के अत्याचार को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रशासनिक, न्यायिक, विधिक उपाय निकालें, इसमें इसे रोकने के लिए कानून बनाकर इसे आपराधिक मानना भी शामिल है।

दक्षिणी एशियाई देशों की सदस्यता और संबंधित कानून की स्थिति

क्र.सं.	देश	हस्ताक्षर/अभिपुष्टि/अभिमुक्ति	यातना विरोधी कानूनी की स्थिति
१.	अफ़ग़ानिस्तान	१९८५ को हस्ताक्षर किया है। १९८७ को अभिपुष्टि।	कानून नहीं है।
२.	नेपाल	१९९१ में अभिपुष्टि।	- अनुच्छेद २६ नेपाल का अंतरिम संविधान, २०६३(२००७)'ऽ - यातना से संबंधित मुआवज़ा अधिनियम, २०४३(१९९६)
३.	पाकिस्तान	२००८ में हस्ताक्षर और २०१० में अभिपुष्टि	यातना, हिरासत में मृत्यु एंव बलात्कार(निवारण एंव दण्ड) विधेयक, २०१४
४.	बंगलादेश	१९९८ में अभिपुष्टि।	यातना एंव हिरासत में मृत्यु (नियारण) अधिनियम २०१३
५.	भारत	१९९७ में केवल हस्ताक्षर किया है।	यातना विरोधी विधेयक, २०१० में लोक सभा से पास होने के बाद राज्य सभा में पास नहीं हुआ। फिर, सेलेक्ट कमिटि को भेजा गया था। अभी वह भी समाप्त हो गया है। कोई कानून नहीं है।
६.	भूटान	नहीं	नहीं
७.	मालदीव	२००४ में अभिपुष्टि।	यातना विरोधी अधिनियम, २०१३
८.	श्रीलंका	१९९४ में अभिपुष्टि।	यातना एंव अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दण्ड अधिनियम, नं.२२.१९९४

- अब तक १५८ देश इसके (party) पार्टी हैं।
- अब तक कुल ८२ देश इसके हस्ताक्षरकर्ता (signatory) हैं।
- अब तक २० देशों ने इसकी अभिपुष्टि (acceded) की है।

भारत की स्थिति

भारत ने भी इस पर १४ अक्टूबर १९९७ में हस्ताक्षर किया है लेकिन अभी भी इसकी अभिपुष्टि करना शेष है। वर्तमान में देश में मौजूदा कानूनों को इस अंतरराष्ट्रीय समझौता के अनुकूल करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। इसके अलावा, सरकार द्वारा अत्याचार निवारण विधेयक, २०१० तैयार किया गया है। इसे २६ अप्रैल २०१० को लोक सभा से पास भी कर दिया गया था लेकिन यह राज्य सभा से पास नहीं हो सका था। फिर इस बिल में कन्वेन्शन अगेंस्ट टॉर्चर के उद्देश्यों के विरूद्ध कुछ प्रावधानों के बारे में सिविल सोसाईटी में चर्चा के बाद इसे सेलेक्ट कमिटि पुनः समीक्षा के लिए भेज दिया गया था। फिर, वहां से भी अब यह विधेयक निरस्त हो चुका है। वर्तमान में, भारत के पास कोई यातना विरोधी कानून नहीं है।

अत्याचार एंव अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दण्ड के विरूद्ध कन्वेन्शन (कन्वेन्शन अगेंस्ट टॉर्चर)

भाग १

अनुच्छेद १ – यातना (टॉर्चर) का अर्थ है ऐसा कोई कृत जिससे किसी व्यक्ति को जानबूझकर गहरी शारीरिक और मानसिक पीड़ा या कष्ट पहुंचाया जाए, उससे या किसी तीसरे व्यक्ति से किसी प्रकार के अपराध स्वीकृति के लिए, उसे ऐसे अपराध के लिए दण्ड देने के लिए जो उसने या किसी तीसरे व्यक्ति ने किया हो या करने का संदेह हो, या उसे या किसी तीसरे व्यक्ति को किसी प्रकार के पक्षपात या अन्य कारणों से धमकाये या दबाव डाले, जब ऐसी पीड़ा किसी लोक सेवक या आधिकारिक स्तर पर कार्यरत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उसकी सहमति से या उसके उकसाने पर किया जाए। इसमें कानूनी तौर पर की गई कार्यवाही से होने वाली पीड़ा शामिल नहीं है।

अनुच्छेद २ – प्रत्येक सदस्य देश अपने अधिकारक्षेत्र में आने वाले सीमा में किसी भी प्रकार की यातना को रोकने के लिए प्रभावकारी वैधानिक, प्रशासनिक, न्यायिक या अन्य उपाय करेंगे।

कोई भी आपातकालीन स्थिति जैसे युद्ध या युद्ध का भय, आंतरिक राजनैतिक अस्थिरता या कोई और पब्लिक इमरजेंसी को टॉर्चर या यातना के लिए न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है। न ही किसी वरिष्ठ अधिकारी या लोक अधिकारी के आदेश को टॉर्चर के लिए न्यायसंगत बताया जा सकता है।

अनुच्छेद ३ – कोई भी सदस्य देश किसी व्यक्ति को दूसरे देश नहीं भेजेगा जहां उसके साथ यातना होने का वस्तुगत विश्वास या ख़तरा है।

अनुच्छेद ४ – सभी सदस्य देशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यातना संबंधित सभी कृत इसके आपराधिक कानूनों के अंतर्गत अपराध हैं और वे इसके लिए उसी प्रकार दण्ड का निर्धारण भी करेंगे।

अनुच्छेद ५ – सभी सदस्य देशों को यातना पर अपना न्याय अधिकार स्थापित करना होगा जब अपराध किसी हवाई जहाज, नाव में हुआ हो, जब कथित अपराधी उस देश का नागरिक हो, जब पीड़ित उस देश का नागरिक हो और देश को ऐसा करना उचित लगे।

अनुच्छेद ६ – इस बात से संतुष्ट होने पर की अनुच्छेद ४ में उल्लेखित अपराध का कथित आरोपी किसी देश के अधिकारक्षेत्र में रह रहा है वह उसे हिरासत में लेगा या फिर उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोई अन्य उपाय करेगा। हिरासत और अन्य कानूनी उपाय तब तक उस देश के कानून के अनुसार होगा जब तक प्रत्यर्पण या आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए ऐसा करना आवश्यक होगा।

देश इन तथ्यों की तुरंत प्राथमिक जांच करने की कार्यवाही करेगा।

इस प्रकार हिरासत में लिये गये व्यक्ति को यह अधिकार होगा की वह जिस देश का नागरिक है उसके निकटतम प्रतिनिधि से संपर्क करे या अगर वह किसी देश का नागरिक नहीं है, तो उस देश के प्रतिनिधि से संपर्क कर सकेगा जहां वह प्रायः रहता है।

जब कोई देश इस प्रावधान के अंतर्गत किसी को हिरासत में लेगा तो वह तुरंत आरोपी के मूल देश को इसकी सूचना देगा।

अनुच्छेद ७ – जिस सदस्य देश के अधिकारक्षेत्र में कथित अत्याचार का आरोपी पाया जाता है यदि वह उस व्यक्ति को मूल देश में प्रत्यर्पण नहीं करता है तो उस केस के अभियोजन की कार्यवाही हेतु इसे उचित अधिकारियों के सुपुर्द कर देगा। कथित आरोपी को निष्पक्ष मुकदमे और व्यवहार की गारंटी होगी।

यातना के विरूद्ध कानून बनाएं - यातना हटाएं!

अनुच्छेद १० – प्रत्येक सदस्य देश यह सुनिश्चित करेंगे कि यातना को रोकने की शिक्षा, कानून लागू करने वाले अधिकारियों, सिविल या सैन्य, चिकित्सा अधिकरयिों, लोक अधिकारियों और दूसरे लोग जो हिरासत, पूछ–ताछ या किसी व्यक्ति की गिरफ़्तारी, हिरासत या कैद के मामले से संबंधित हैं, उनके प्रशिक्षण में पूरी तरह सम्मिलित है।

प्रत्येक सदस्य देश ऐसे अधिकारियों और कर्मियों की सेवा और दायित्वों के निर्वहन के दौरान भी यातना पर रोक को संबंधित नियमावलि में सम्मिलित करेंगे।

अनुच्छेद ११ – प्रत्येक सदस्य देश किसी भी प्रकार के यातना के केस को रोकने के लिए इसके अधिकारक्षेत्र में आने वाले व्यक्ति की हिरासत, कैद या किसी भी प्रकार की गिरफ़्तारी की स्थिति, प्रचलन, तरीकों, निर्देशों, पूछताछ के नियमों की सुनियोजित समीक्षा करेंगे।

अनुच्छेद १२ – प्रत्येक सदस्य देश यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके उचित अधिकारी यातना के केस में निष्पक्ष और शीघ्र जांच कर रहे हैं।

अनुच्छेद १३ – प्रत्येक सदस्य देश यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो इसके अधिकारक्षेत्र में हुई यातना की शिकायत करना चाहता है उसे ऐसा करने का अधिकार है, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निष्पक्षता से जांच का अधिकार है। शिकायत करने या साक्ष्य देने के कारण, शिकायतकर्ता और गवाहों की सभी प्रकार के दुर्व्यवहार से सुरक्षा के लिए क़दम उठाये जाएंगे।

अनुच्छेद १४ – सभी सदस्य देश अपनी कानूनी व्यवस्था में यह सुनिश्चित करेंगे कि यातना के पीड़ित ने इसका समाधान प्राप्त किया और उसके पास उचित मुआवज़ा पाने का भी अधिकार है जिसमें जहां तक सम्भव हो पुर्ण पुनर्वास का साधन उपलब्ध कराना भी शामिल है।

अनुच्छेद १५ – प्रत्येक सदस्य देश यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा कोई भी कथन जो यातना के परिणामस्वरूप कहा गया था, उसे किसी अन्य कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा सिवाय यातना के आरोपी के विरूद्ध साक्ष्य के रूप में।

अनुच्छेद १६ – प्रत्येक सदस्य देश अपने अधिकार क्षेत्र के प्रत्येक इलाके में कोई भी कृत जो यातना नहीं है, लेकिन अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार है और जो लोक अधिकारी द्वारा या उसकी मर्जी या उकसाने से आधिकारिक दायित्वों के निर्वहन के दौरान किया जाता है तो उसे रोकना सुनिश्चित करेंगे। यदि ऐसा कोई अपराध फिर भी घटित होता है तो उसकी कार्यवाही उचित और निष्पक्ष रूप से होना और पीड़ित को मुआवज़ा देना होगा।

भाग २

अनुच्छेद १७ एंव १८ – यातना के विरूद्ध एक समिति का गठन किया जाएगा। यह एक १० सदस्यीय समिति होगी जिसके लिए सभी सदस्य अपने देश से एक व्यक्ति को मनोनीत करेंगे और फिर गुप्त मतदान द्वारा १० सदस्यों का चयन किया जाएगा।

इस समिति के सदस्य ४ सालों के लिए नियुक्त किये जाएंगे। जब समिति के सदस्य इसका काम कर रहे होंगे तो सदस्य देश समिति के सदस्यों के खर्चे के लिए ज़िम्मेदार होंगे।

समिति अपने काम–काज के लिए नियम बना सकती है। ६ सदस्यों की उपस्थिति को कोरम माना जाएगा। उपस्थित अधिकतम सदस्यों की सहमति से ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

अनुच्छेद २० – अगर समिति को कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है कि किसी सदस्य देश के अधिकार क्षेत्र में यातना की घटना नियमित रूप से घटित हो रही है। समिति उस सदस्य देश को इस यातना की सूचना के बारे में अपनी टिप्पणी करने के लिए जांच में सहयोग करने के लिए आमंत्रित करेगी।

अगर आवश्यकता महसूस हो तो समिति सदस्य देश के सामंजस्य से कथित यातना वाले क्षेत्र में इसकी इंक्वायरी के लिए किसी सदस्य को भी भेज सकती है। इस इंक्वायरी की कार्यवाही पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

अनुच्छेद २२ – इस समझौते के सदस्य देश कभी भी यह घोषणा कर सकते हैं कि वह इस समिति को विशेष परिस्थितियों में यातना के व्यक्तिगत केसों की सूचना पीड़ित के द्वारा या उनके लिए किसी और के द्वारा सुनने के लिए सक्षम मानते हैं। समिति ऐसी घोषणा करने वाले सदस्य देशों से व्यक्तिगत शिकायतें प्राप्त कर सकती है।

अनुच्छेद २४ – यातना विरोधी समिति अपने कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा तथा इस कन्वेनशन के सदस्य देशों के पास जमा करेगी।

भाग ३

अनुच्छेद २५ – यह कन्वेनशन हस्ताक्षर के लिए खुला है। इस कन्वेनशन के लिए अभिपुष्टि की जरूरत है। अभिपुष्टि के दस्तावेज़ महासचिव के पास जमा किये जाएंगे। अनुच्छेद २६ – यह कन्वेनशन सभी देशों द्वारा अभिवृद्धि के लिए खुला है। देशों द्वारा अभिवृद्धि तब प्रभावपूर्ण होगी जब इससे संबंधित दस्तावेज़ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा किये जाएं।

अनुच्छेद २९ – कोई भी सदस्य देश कन्वेनशन में संशोधन का प्रस्ताव रख सकता है और वह इसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास दर्ज करा सकता है। महासचिव तब इस प्रस्तावित संशोधन की सूचना अन्य सदस्य देशों को देंगे और यह निवेदन भी करेंगे कि वे इसके पक्ष में हैं या नहीं इसके बारे में अपने मत से भी अवगत करायें। इस प्रस्ताव के ४ महीने के भीतर यदि एक तिहाई सदस्य इस पर कॉन्फ्रेंस का समर्थन करते हैं तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र के अधीन कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगे। उसके बाद कॉन्फ्रेंस में उपस्थित देशों द्वारा बहुमत से अपनाये गये संशोधन की सूचना महासचिव द्वारा सदस्य देशों को स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी।

यह संशोधन तब लागू होगा जब दो तिहाई सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को अधिसूचित करेंगे कि उन्होंने इसे अपने संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार यह संशोधन समर्थन करने वाले देशों पर बाध्यकारी होगा।

अनुच्छेद ३० – किसी भी दो सदस्य देशों के बीच इस कन्वेन्शन के बारे में या अर्थ प्रकाशन के बारे में मतभेद होने की स्थिति में मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाएगा या किसी एक के निवेदन पर अदालत के कानून के अनुसार न्याय की अंतराष्ट्रीय अदालत में भेज दिया जाएगा।

अनुच्छेद ३१ – कोई भी सदस्य देश जब भी चाहे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को लिखित सूचना द्वारा पात्रता रद्द करा सकता है। महासचिव द्वारा पात्रता रद्द करने की सूचना प्राप्त होने के एक वर्ष के बाद यह प्रभावकारी होती है।

इस सूचना भेजने के पूर्व के सभी दायित्वों, खर्चों का निर्वहन उक्त देश को तब तक करना होगा जब तक पात्रता समाप्त नहीं हो जाती।

अनुच्छेद ३२ – संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का दायित्व होगा कि वह किसी देश द्वारा कन्वेन्शन पर हस्ताक्षर करने, अभिपुष्टि या अभिवृद्धि करने तथा इसकी सदस्यता छोड़ने की सूचना अन्य सभी सदस्य देशों को भेजें।

अनुच्छेद ३३ – इस कन्वेन्शन का टेक्स्ट अंग्रेजी, अरबी, स्पैनिश, फ्रेंच, चाईनिज़ और रशियन भाषा में समान रूप से सही होगा और यह संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा रहेगा।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव इस कन्वेन्शन की सत्यापित प्रतिलिपि सभी देशों को भेजेंगे।

(सौजन्य : इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित जैसे:

http://www.apt.ch/content/countries/nepal.pdf,
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx,
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang=en,
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_against_Torture#cite_note-unto-1*)*

– प्रस्तुतिः ज़ीनत मलिक

आपके विचार

संपादिका जी,

नमस्कार!

लोक पुलिस पत्रिका के अगस्त का अंक पढ़ने का अवसर मिला। इस अंक में महिला पुलिस के बल में प्रतिनिधित्व के विषय में सी.एच.आर.आई. की शोध रिपोर्ट 'रफ़ रोड टू इक्वालिटि' की सिफ़ारिशें ही यदि सरकारों और पुलिस नेतृत्व द्वारा अमल में लाई जाएं तो हम जैसी महिला पुलिसकर्मियों की समस्याओं का निपटारा हो जाएगा। हमें नित दिन छोटी–छोटी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और कई बार मन में हीन भावना उत्पन्न होती है जोकि अधिकतर सहकर्मियों के बुरे बर्ताव और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण होता है। जब हम बल में आए थे तो कुछ अच्छा करने के लिए आए थे– अपने लिए, समाज के लिए और देश के लिए लेकिन, जब हमें स्वंय को भेद–भाव सहना पड़ता है तो यह समझ में नहीं आता कि उस समय अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कैसे समझाएं कि हमें अवसर देकर देखें हम भी अच्छी जांच कर सकते हैं।

लेकिन, जब तक सब कुछ पक्षपात रहित नहीं होता शायद हमें दुगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैडम विमला मेहरा के साक्षात्कार को पढ़कर बहुत कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। यदि आप महिला पुलिस अधिकारियों के और अधिक साक्षात्कार प्रस्तुत करें तो महिलाओं को प्रोत्साहन और सीख मिलेगी।

धन्यवाद,
महिला ए.एस.आई.
जोधपुर, राजस्थान।

महोदया,

सादर प्रणाम!

अगस्त की पत्रिका में मुझे साक्षात्कार और महिलाओं से संबंधित आँकड़ों की प्रस्तुति लाभकारी मालूम हुई। इसमें यह देखना महत्वपूर्ण है कि तेज़ाब से महिलाओं पर हमला करने वालों की संख्या कितनी अधिक है। मेरे विचार में कानून में संशोधन के बाद तेज़ाब से हमला करने को अलग अपराध बतलाये जाने के कारण ही ऐसे प्रहारकर्ताओं के विरूद्ध केस दर्ज हुए हैं। हम पुलिसकर्मियों के लिए अपराधों को अलग तरह से परिभाषित करने से आरोपी को पकड़ने में सहजता हो गई है।

कुल अंक सराहनीय है।

कांस्टेबल, करनाल
सदस्य, हरियाणा पुलिस।

पुलिस समाचार - हर कोने की हलचल

उच्च न्यायालय की फटकार - हिरासत में मृत्यु रोकें!

महाराष्ट्र सरकार को सितंबर के पहले सप्ताह में बॉम्बे उच्च न्यायालय से कड़ी फटकार तब मिली जब अदालत के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि १९९९ - २०१४ के मध्य हिरासत में मृत्यु के २४३ केस हो चुके हैं लेकिन एक में भी दोषसिद्धि नहीं हुई है।

३ सितंबर को इन मौतों पर चिंता जतलाते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सरकार को कहा कि, "हम आशा करते हैं कि अब सरकार जगेगी और वरिष्ठ स्तर पर हिरासत में मौतों को रोकने के लिए उचित कार्यवाही करेगी।"

न्यायाधीश वी.एम. कनाडे और न्यायाधीश डॉ. शालिनी फलसंकर जोशी ने पुलिस जिस तरह पूछ–ताछ करती है उस पर गहरी चिंता जतलाई। खण्डपीठ ने अपने पहले अवलोकन को दोहराते हुए कहा कि जहां तक सम्भव हो पुलिस अधिकारियों को रात के समय पूछ–ताछ नहीं करनी चाहिए। इसके अनुसार, "सामान्य सोच यह है कि केवल इस प्रकार आप जांच कर सकते हैं। पुलिसकर्मियों की इस सोच को बदलना होगा। हमने पहले भी अवलोकन किया था कि रात में पूछ–ताछ को रोका जाना चाहिए क्योंकि उस समय पुलिसकर्मी अपनी सही मनोदशा में नहीं होते और वे अपनी कुण्ठा हिरासत में बंद व्यक्ति पर निकालते हैं।"

अदालत ने यह अवलोकन तब किया जब वरिष्ठ वकील युग चौधरी ने अदालत में री रोड निवासी ऐग्नेलो वलडरिस की अप्रैल २०१४ में कथित हिरासत में मौत के आरोपी ६ पुलिसकर्मियों के विरूद्ध दर्ज केस में सी.बी.आई. द्वारा १६ महीने के बाद भी आरोपत्र दायर नहीं किय गया था। उनके अनुसर 'इस विलंब के कारण, आरोपी पुलिसकर्मी दोषमुक्त हो जाएंगे।'

अदालत ने श्री युग के शिकायत के गंभीर परिणाम का आभास करते हुए कहा कि 'हमें हैरानी है कि हमारे द्वारा जारी निर्देश सरकार और संबंधित अधिकारियों के पास पहुँचते हैं या नहीं, हमारे आदेशों का पालन होता है या वे केवल आफिस में पड़े रहते हैं।' अदालत ने यह अवलोकन वडाला से संलग्न गर्वनमेंट रेलवे पुलिस के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए दायर केस की सुनवाई करते हुए किया था। इसमें ऐग्नेलो वलडरिस तथा अन्य ३ लोगों की ७ पुलिसकर्मियों द्वारा हत्या तथा POCSO Act की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत यौन शोषण का आरोप था। यह पुलिसकर्मियों के विरूद्ध POCSO Act के अंतर्गत जांच होने वाला पहला केस था।

पुलिस ने पहले तो इस केस की जांच सी.बी.आई. को सौंपे जाने का विरोध किया और यह कहा कि ऐग्नेलो वलडरिस की मृत्यु ट्रेन से टकराने के कारण तब हुई जब वह पुलिस की हिरासत से भाग रहा था।

अदालत की ३ सितंबर की सुनवाई में अंततः १६ सितंबर को सी.बी.आई. को चार्जशीट कब दायर करेंगे यह बतलाने को कहा गया था जिसके बारे में उनका कहना था कि रिपोर्ट सी.बी.आई. मुख्यालय दिल्ली भेजी गई है।

Source: Flickr: Steven Depolo

हिरासत में यातना तत्काल रोकी जाए!

हिरासत में आरोपी के साथ होने वाली किसी भी दुर्घटना की ज़िम्मेदारी उस पर होती है जिसकी हिरासत में आरोपी है। यदि आरोपी हिरासत से भागते हुए मारा जाता है तो भी पुलिस की जवाबदेही बनती है – आरोपी के परिवार, अदालत और मानव अधिकार आयोग के प्रति।

यदि पुलिस निर्दोष है तो जांच में यह स्पष्ट हो जाएगा लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब जांच ठीक समय से और पूरी निपुणता से नहीं की जाती। अगर पुलिस निर्दोष है तो उसे घबराने की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि 'सांच को आँच नहीं'। लेकिन, जब पुलिस अनावश्यक रूप से रक्षात्मक होने लगती है तो क्या विपरीत परिस्थिति की सम्भवना को नकारा जा सकता है?

(सौजन्य : डी.एन.ए. ४ सितंबर २०१५)

एक बेचारा - पुलिसकर्मियों के बोझ का मारा

पुलिसकर्मी श्री बस्सी ने ११ सितंबर २०१५ को उत्तरी दिल्ली के नन्द नगरी क्षेत्र में एक व्यक्ति की 'रहस्यमयी' मृत्यु के बारे में कार्यवाही का भरोसा दिया। दरअसल, ७ सितंबर २०१५ को ३५ वर्षीय शहनवाज़ उर्फ शानु की पुलिस हिरासत में तब मौत हुई थी जब वह अपनी पत्नी के साथ बाईक पर कहीं जा रहा था और उसने रुक कर पुलिस और एक जोड़े के बीच झगड़े में बीच बचाव किया था। गुस्साई पुलिस ने शहनवाज़ को हिरासत में ले लिया और थाना ले जाते समय उसकी पिटाई की जिसका वीडियो टी.वी.चैनलों ने दिखाया। पुलिस की यातना के परिणाम स्वरूप इस मृत्यु के बारे में बताया जा रहा था कि पुलिसकर्मियों ने मृतक को बहुत पीटा और कुछ पुलिसकर्मी उस पर बैठ गये थे। केस की जांच ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही थी।

घटना की जांच कर रहे ज़िला मजिस्ट्रेट ने अंतरिम रिपोर्ट में पुलिस द्वारा 'बल प्रयोग' का संदेह जताया है। उन्होंने यह भी बताया कि वह इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि पीड़ित की पत्नी को देर रात तक थाने में क्यों रोक कर रखा गया।

डी.एम. (शाहदरा) अभिषेक सिंह ने अपनी रिपोर्ट में ३५ वर्षीय शहनवाज़ उर्फ शानु की मृत्यु को अप्राकृतिक बतलाया है और जो १२-१३ पुलिसकर्मी उसे अस्पताल लेकर गये थे उन्हें उसकी मृत्यु का ज़िम्मेदार बतलाया है।

हालांकि, दिल्ली पुलिस इसे बात कायम है कि "आगे की कोई भी कार्यवाही द.प्र.सं. की धारा १७६ के अंतर्गत प्रारंभ की गई न्यायिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर ही की जाएगी।"

डी.एम. ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि 'मृतक की पत्नी को रात के २.३० बजे तक थाने में रखा गया था। पुलिस ने उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दिशा–निर्देशों का पालन नहीं किया कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले थाने में नहीं रखा जाना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की आज्ञा लेनी चाहिए।'

सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि मजिस्ट्रेट पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चश्मदीद गवाहों के बयान के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि शहनवाज़ चौधरी की मृत्यु पुलिस के कारण ही हुई है। यह हिरासत में मृत्यु का केस है। उसके शरीर पर २३ चोट के निशान हैं।

सरकार ने मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट को कानूनी परीक्षण के लिए भेजा है।

इस केस में पुलिस हिरासत के दौरान मृत्यु का ज़िम्मेदार चाहे कोई भी हो लेकिन एक बहुत बड़ा सच यह है कि इस घटना के बाद कठिनाई में पड़े लोगों की सहायता करने और दूसरों के झगड़े सुलझाने के लिए आगे आने से लोग डरने लगेंगे। यदि शहनवाज़, पुलिस के साथ झगड़े में पड़े जोड़े की सहायता के लिए आगे नहीं आता तो शायद आज वह जीवित और परिवार के बीच होता। क्या कभी संबंधित पुलिसकर्मियों को उसके परिवार की तकलीफ़ का अहसास होगा? यदि होगा तो भी क्या वह स्वंय को आगे रोक पाएंगे?

(सौजन्य : न्यू इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम, ११ एंव १८ सितंबर २०१५)

पुलिस यातना से व्यक्ति विकलांग

एक वर्ष पहले ३६ वर्षीय अकरम शाह का स्कूटर अनजाने में अपराध शाखा के एक इंस्पेक्टर से इंदौर के सियागंज क्षेत्र में टकरा गया। लेकिन, अनजाने हुई इस टक्कर ने वर्दी में छुपे दानव को जागृत कर दिया, जिसने उसे हिरासत में बुरी तरह पीटा, जिसने उसकी रीढ़ में ऐसी चोट पहुंचाई जिससे कि वह स्थायी रूप से अपंग हो गया।

डेढ़ वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खण्डपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में पिछले महीने राज्य सरकार और पुलिस विभाग को अकरम के चिकित्सीय व्यय के लिए पैसे देने का निर्देश दिया है। राज्य मानव अधिकार आयोग ने केस का संज्ञान लिया है।

६ बच्चों के पिता और परिवार में अकेले कमाने वाले अकरम की कठिनाई २ जनवरी २०१४ को तब शुरू हुई थी जब मध्य प्रदेश पुलिस के वहशीपन को उसने कांस्टेबल रज़ाक खान और वीरेन्द्र सिंह तोमर के रूप में सामना किया था। उसके वकील, आशीष शर्मा के अनुसार, "अकरम के साथ इंदौर के किसी अज्ञात स्थान पर ४ दिनों तक थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया था उसके बाद बाईक चोरी के झूठे केस में उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया। वहां, वह एक हफ़्ते तक वह दर्द में तड़पता रहा और उसके चोट और गंभीर हो गये।"

पुलिस यातना के कारणों की समीक्षा करने से ऐसा आभास होता है कि वर्दी से जुड़ा घमंड और ताकत का दुरूप्योग इस प्रकार एक साधारण व्यक्ति को यातना पहुँचाने के लिए पर्याप्त होता है। जहां केस विचाराधीन है, वहां तो आरोपी पुलिसकर्मी कभी यातना के समय उनके मस्तिष्क में चल रहे विचारों के बारे में बात नहीं करेंगे लेकिन, जहां दोष सिद्ध होकर अपील की अवधि समाप्त हो गई हो और दोषी पुलिसकर्मी दण्ड भुगत रहा हो, वहां स्वयं उनसे यह जानना चाहिए कि किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करते समय उनके मन में क्या विचार होते हैं? क्या उन्हें कानून का भय तनिक भी नहीं होता?

आरोपी पुसिकर्मियों को यदि दण्ड भी मिल जाए तो अकरम की विकलांगता को कैसे ठीक किया जाएगा? उसके परिवार के भरण पोषण की ज़िम्मेदारी क्या सरकार लेगी? ऐसे केसों में जहां यातना के कारण रोज़गार ही चला जाए, मुआवज़े के अलावा सरकार द्वारा परिवार के अन्य सदस्य को या पीड़ित व्यक्ति को ही उसकी क्षमता के अनुसार सरकारी नौकरी देनी चाहिए।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, ४ अक्टुबर, २०१५)

हम, *लोक पुलिस* के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, *लोक पुलिस* में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान संपादक : ज़ीनत मलिक, ५५ ए, तीसरी मंज़िल, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली-११००१६, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००ए फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, वेबसाईटः http//www.humanrightsinitiative.org